न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला अलवर (राज.)

प्रकरण ..... वाद ..... विषय .....

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बाबते .....

व दिनांक ..... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

12.9.24

आज पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बाबते .....

व दिनांक 10.11.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

11.11.24

आज पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बाबते .....

व दिनांक ..... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

29/11/24

आज पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बाबते .....

व दिनांक 26/2/24 को पेश हो।

26/2/24 उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

पत्रावली पेश हुई PO उपखण्ड अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार आगामी दिनांक 16/4/24 को प्रस्तुत हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

16/4/24

आज पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता।

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार बाबते .....

व दिनांक 24/5/24 को पेश हो।

24/5/24 उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.11 16:19:00 IST
Reason: SelfAttested

व दिनांक 13/8/24

आज पत्रावली पेश हुई। आवाजें लगाई गई। अधिवक्ता। पक्षकार/अधिवक्ता आवाज लगाने पर वादी/वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अतः वाद अवस्था में खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ती किया जावे। पत्रावली नस्ती होकर दफ्तर से बन्द होकर दफ्तर दफा हो।

उपखण्ड अधिकारी तिजारा
जिला खैरथल-तिजारा